

GOVT. OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 5TH LEVEL: B-WING
DELHI SECTT. : I.P.ESTATE: NEW DELHI

F. No.11(163)/2017/PWD-II/VS
CD No. 057447589

11746

Dated: 9/8/2017

To.

Dy. Secretary,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch. Old Sectt.,
Delhi-110054

**Sub.: Legislative Assembly Un-Starred Que. No.177 Raised by Honble MLA,
Sh. Pankaj Pushker for 10.8.2017.**

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q), Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F-11(B-1)VU/2015-19/DVS/Que. Branch/ dated 31.7.2017 on the subject cited above. In this regard please find enclosed 100 copies of Reply of Vidhan Sabha Question mentioned for necessary action at your end please. However the copy of the same also sent through e.mail.

Yours faithfully,

Encl: As above



(DEBASIS BISWAL)
DY. SECRETARY (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ संपदा,
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या :-177


दिनांक :-10/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पंकज पुष्कर

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क.स.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि 1. मौरिस नगर थाना के सामने सड़क पर बनी मजार, 2. मौरिस नगर थाने से किंग्सवे कैम्प जाते समय नजफगढ़ नाला पार करते ही सड़क की जमीन पर मंदिर और अखाड़ा के नाम पर, 3. सिग्नेचर अपार्टमेंट से परमान चौक की ओर जाते हुए एक मंदिर के नाम पर फुटपाथ, 4. किंगजवे कैम्प चौराहे से बुरारी की ओर जाते हुए सड़क पर स्थायी दुकान बनाने और 5. विजय नगर सिंगत स्टोरी हनुमान मंदिर के सामने रॉयल बैक्वेट हॉल द्वारा सड़क आदि अवैध कब्जे किए गए ;	बिन्दु 1, 2 एवं 3 सत्य है। रोड़ पर अतिक्रमण हटाने की कानून के तहत जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर बने फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाने में एस.डी.एम द्वारा गठित टास्कफोर्स का भी सहारा लिया जाता है। पी. डब्लू. डी. सम्बंधित एजेन्सी से अवैध निर्माण के हटाने के लिए कहती है तथा बुल्डोजर व लेबर इत्यादि मुहैया कराती है।
(ख)	यदि हां, तो उपरोक्त कब्जों का कब तक हटाया जाएगा, उसका ब्यौरा पूर्ण विवरण है ?	धार्मिक भवनों को हटाने का मसौदा उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों पर बनी धार्मिक समिति को पेश किया जाता है। निर्णय के बाद उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।


(देवासीस बिसवाल)
उप सचिव (लो0नि0वि0)
दूरभाष: 23392296